पत्रांक 3702 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 10/10/14

**विषय–** **छठ महापर्व 2014 के अवसर पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से की जाने वाली पूर्व तैयारी के संबंध में।**

**प्रसंग :** **विभागीय पत्रांक 3693 दिनांक 10.10.2014**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का निदेश किया जाए। छठ महापर्व 2014 के अवसर पर आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से की जाने वाली पूर्व तैयारी के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि छठ महापर्व के अवसर पर दिनांक 28 से 30 अक्टूबर 2014 तक नदी घाटों एवं तालाबों आदि जलस्रोतों के समीप, जहाँ छठपूजा का आयोजन होता है, पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। पटाखों की आवाज से घाटों और तालाबों के समीप उपस्थित छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने की संभावना होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर दुर्घटना/आपदा हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

10/10/14

(अनिरूद्ध कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक 3702 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 10/10/14.

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

10/10/14

विशेष सचिव

ज्ञापांक 3702 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 10/10/14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/10/14

विशेष सचिव

D:\2014 (pc3)\Chhatt Festival\Letter to All D.M.doc